जी। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य बैठिए। ...माननीय सदस्य बैठिए। (व्यवधान)...जो निर्णय मैंने कर दिया है, वही रहेगा। जो मैंने निर्णय कर दिया है, वही रहेगा। अब इसी पर श्री संजय निरुपम बोलेंगे।

SHORT DURATION DISCUSSION — contd.

Internal security situation in the country

श्री संजय निरुपम: अब रेल सिक्योरिटी की समस्या से निकलकर इंटरनल सिक्योरिटी पर आते हैं।

आदरणीय सभापति जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आंतरिक सुरक्षा के एक गंभीर विषय के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। मैं किसी राजनीतिक आग्रह के साथ यह बात नहीं कहूंगा और जो कहूंगा, वह देश की सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा, तभी कहूंगा। आंतरिक सुरक्षा के कई पहलू हैं और कई पहलुओं के ऊपर चर्चा हो चुकी है। कश्मीर से लेकर उत्तर–पूर्व, बंगलादेशी घुसपैठ और तमाम अलग–अलग पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई, मैं सबसे पहले बंगलादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश बंगलादेशी घुसपैठ का जो प्रश्न है, उसको सांप्रदायिकता की नज़र से हमारे देश में देखा जाता है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है, गो-हत्या पर प्रतिबंध का मुद्दा है, ये सब आप लोगों की नज़र में सांप्रदायिक मुद्दे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो बंगलादेश का मुद्दा है, उसको भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, मैं समझता हूं गलत है, सही नहीं है। बंगलादेश का प्रश्न सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और जब भी इस विषय पर चर्चा करें तो धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता को बीच में न लाकर, हम देश की सुरक्षा को सामने रखें। पिछले हफ्ते गृह मंत्री महोदय ने, सदन में, एक सवाल के जवाब में स्पष्टतौर पर माना कि उत्तर-पूर्व की आतंकवादी घटनाओं में बंगलादेश के घुसपैठियों का हाथ है यानी बंगलादेश के घुसपैठ की वजह से आतंकवाद धीरे–धीरे बढ़ रहा है। बंगलादेश में उत्तर-पूर्व के बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, विशेषकर असम के जो संगठन हैं, उल्फा जैसे संगठन हैं, उनके ट्रेनिंग सैन्टर्स हैं। आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया है, मैं चाहूं तो पढ़कर बता सकता हूं कि आपकी सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से, बंगलादेश की सरकार के साथ बाकायदा बातचीत हो रही है। आप लोगों ने ट्रेनिंग कैम्प की लिस्ट तक दे दी है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। मुझे लगता है कि उन बंगलादेशियों के प्रश्न पर, सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। पिछले छः साल से जब हमारी एन॰डी॰ए॰ की सरकार थी, तब भी लगभग हर सत्र में, मैं बंगलादेशियों के मुद्दे पर बोलता था। जब आप लोग इस तरफ हुआ करते थे तो इस तरफ से बड़ा विरोध होता था, कि देखो यह साम्प्रदायिक मुद्दा लेकर

खड़ा हो रहा है। उल्फा के प्रमुख परेश बरूवा, पिछले दस वर्षों से बंगलादेश में है। बी॰एस॰एफ॰ के डी॰जी॰ श्री अजय राज शर्मा ऑन रिकार्ड कह चुके हैं कि जिस प्रकार से बंगलादेशियों की घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है, आने वाले दिनों में, इस देश की सुरक्षा के लिए, वह एक गंभीर खतरा हो सकती है। ऐसे में इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए मैं आपका ध्यान मुम्बई के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। मुम्बई में कोई साफ–सुथरा सैंसेस तो नहीं है, सैंसेस की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठियां वहां रहते हैं। मैं एक टीम लेकर बंगलादेशियों की बस्ती में गया था, जिसमें महा नगरपालिका के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। मैंने उस टीम को उन झोंपड़ों को दिखाया। उन बांगलादेशियों को वहां से निकालना चाहिए। पुलिस उसकी जांच–पड़ताल करके, उन्हें वहां से निकाले। जैसा मैंने आग्रह किया कि दो–चार झोंपड़े भी तोड़े गए, इसके बावजूद भी अभी तक वह समस्या खत्म नहीं हुई है। यह बार–बार कहा जाता है कि शिव सेना के लोग, मुम्बई में बंगलादेशी घुसपैठियों का प्रश्न इसलिए खड़ा करते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। इनको मुसलमानों को चिढ़ाने में मज़ा आता है। माफ करिए, हम कहीं से भी इस विषय को, हिन्दू–मुस्लिम मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहते हैं। जब यहां पर आडवाणी जी गृह मंत्री हुआ करते थे, तब एक बार यह विषय आया था मुझे अच्छी तरह से याद है। इस विषय को इस प्रकार से रखा गया कि ये बंगलादेशियों को नहीं भगा रहे हैं। मुम्बई में जो पश्चिम बंगाल के गरीब कारीगर लोग रहते हैं, उनको भगाया जा रहा है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल के लोग, मुम्बई में जाकर काम–धन्धा करने वाले कारीगर हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं हैं। हम विशुद्ध तौर पर बंगलादेशियों के खिलाफ हैं और बार–बार यह सवाल आता है कि मुम्बई में बंगलादेशी हैं कहां? यह शिव सेना तो ऐसे ही गलत बोलती रहती है। मैं आपके सामने बंगलादेशियों की एक पूरी लिस्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। बंगलादेशियों का मुम्बई में, बाकायदा मतदाता सूचियों में नाम दर्ज हो गया है।....(व्यवधान)... महोदय, यह मध्य मुम्बई का क्षेत्र है, रे रोड का क्षेत्र है। हमने बाकायदा यह लिस्ट वहां की सरकार को भी दी है और वहां की पुलिस को भी दी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम कुछ भी ऐसी बात कहते हैं तो उसको साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखकर दबा दिया जाता है। रे रोड स्टेशन के सामने बंगाली गली में, झोपड़ा क्रमांक 419 और 420 में अब्दुल हुसैन उस्मान शेख रहते हैं। मैं मुम्बई पुलिस को आपके माध्यम से यह संदेशा देना चाहता हूं, वह जाकर चैक कर लें। अगर वे बंगलादेशी नहीं पाए गए तो जो चाहे सजा दे दें। वहां पर एक नहीं और कई लोग हैं, अख्तर हुसैन उस्मान शेख भी हैं और उनका भी वही पता है। इनके अलावा जो अन्य हैं, वे हैं रज़ब हसन गाजी। वे बंगलादेश के किस गांव से आए हैं, वह भी हैं, जैसे ग्राम कालोनी, छोटा कालोनी, जिला जासौर, बंगलादेश ये सब हैं। एक दूसरा और है बसतपुर पोस्ट, जिला जासौर, ये सब बंगलादेश के जिलों से आकर वहां बस गए।...(व्यवधान).... मैं बारा पाड़ा पर भी आता हूं। फिर रज्जाक साहब हैं, रज्जब साहब के साले हैं रज्जाक साहब, उनका भी वही एड्रेस है, मुंबई रे रोड पर, उसी ने बसाया

है। फिर एक सूरज हैं, रे रोड, झोंपड़ा क्रमांक 417 पर हैं, इनका गांव है साड़ातोता, पोस्ट साड़ातोता, थाना सारसा, जिला जासोर, बंगलादेश। ये सारे बंगलादेशी हैं, मैं आपको एक–दो और बता देता हूं...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: भेज दीजिए, क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री संजय निरुपम: मुझे लगता है कि बताना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को बार–बार झुठलाया जाता है। मोहम्मद नरीम ग़ाली, इनका भी वही एड्रेस है, जो पहले बता रहा हूं, ये भी जासोर जिले से आए हैं, सत्तार मुनीर शाहिद, जिनका मतदाता सूचियों में नाम है। सत्तार मुनीर शाहिद, मतदाता क्रमांक 222, रे रोड पर है। ये बंगलादेश से आए हैं, मतदाता सूची, क्रमांक 1998 है, बंगलादेशी होने पर नाम काटा गया, फिर से अपना नाम डलवाया। शेख सुकुर शबीर, शेख मुहम्मद, शेख मुल्ताज मुहम्मद, शेख दलवार मुहम्मद, शेख नूरजहां दलवार, शेख आसमां महफिल, मुल्ला अब्दुल मलिक, शेख महफिल महमूद, रूबियां खातून, अब्दुल मलिक, मुल्ला कासिम, ऐसे कम से कम सैकड़ों नाम हैं। सालों साल से, कहा जाए तो चार–पांच साल से हैं, मैंने इसीलिए कहा कि सरकारों को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। सरकार और राजनीति को दोष देने की बजाय, मैंने गृह मंत्री महोदय का बयान सबसे पहले सामने रखा कि आपने स्वयं माना है कि बंगलादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हमारे बी॰एस॰एफ॰ के डी॰जी॰ स्वयं मानते हैं कि आने वाले दिनों में इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट है, सारे इनपुट्स आ चुके हैं। ऐसे में जो बंगलादेशी मुम्बई में हैं, जो बड़े पैमाने पर झोपड़–पट्टियों में रह रहे हैं, वे आने वाले दिनों में मुम्बई की सुरक्षा के लिए जबर्दस्त खतरा बन सकते हैं और वे मुम्बई के माध्यम से पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता हैं। मेरा आपसे पहला निवेदन बंगलादेशियों के संदर्भ में है कि जितनी जल्दी हो सके आप स्पेशल फोर्स बनाकर, टास्क फोर्स बनाकर पूरे देश से बंगलादेशियों को भगाने का इंतजाम करें। आपने स्वयं अपने इंटरवेंशन में स्वीकार किया कि, ये रोजी–रोटी के लिए आए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा फिर क्यों आए? इनके आने का आखिर उद्देश्य क्या है? हमें अभी तक यह सिखलाया जाता था कि बेचारे गरीब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बेरोजगार हैं, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हम हिंदुस्तान में शरणार्थियों को जगह देते रहे हैं, गरीबों को जगह देते रहे हैं, वे आ गए तो ठीक है, लेकिन आज आपने स्वयं इंटरवेंशन में स्वीकार किया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वे रोजी–रोटी या बेकारी की वजह से आए हैं, किसी और वजह से आए होंगे। कौन–सी वजह से आए होंगे, इसकी छानबीन आप करेंगे? अगर इस संदर्भ में आप अपने जवाब में बता सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। बंगलादेशियों को यहां से भगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तमाम राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर इस देश का एक संकल्प होना चाहिए और देश का गृह मंत्री होने के नाते आपको इसका नेतृत्व करना है, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। नक्सल मूवमेंट के

5.00 P.M.

संदर्भ में एलेक्जेंडर साहब ने विस्तार से अपनी बात रखी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कल से ही सीज़-फायर खत्म हो चुका है। कल आंध्र में सीज़-फायर खत्म हो चुका है और वहां के नक्सल ग्रुप पी.डब्ल्यू.जी. ने बाकायदा अपील कर दी है, अपने कैडर को तैयार रहने की अपील कर दी गई है, यानी जो तथाकथित सीज़-फायर हुआ और हमने बातचीत का जो प्रयास किया, वह सब कुछ फेल हो चुका है। इसके बाद वह पी.डब्ल्यू.जी., जिसके आका कहीं पड़ोसी देश में बैठे हैं, जहां से हथियार भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, जहां से उनका एक तरह से संचालन हो रहा है, वे आने वाले दिनों में किस रास्ते पर जाएंगे और क्या करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात का कुछ पता नहीं है। वे पी॰डब्ल्यू॰जी॰ वाले हैं, वे नक्सल हैं, जिन्होंने इस देश के एक मुख्य मंत्री की जान लेने की कोशिश की थी। ये वे पी.डब्ल्यू.जी. वाले हैं, जिन्होने पिछले चुनाव में जितनी ज्यादा हिंसा हो सकी, भड़काई और उस मुख्य मंत्री की सरकार नहीं होनी चाहिए, इस दिशा में प्रयास भी किया। यह जो नक्सल समस्या है, यह सिर्फ राज्य की समस्या नहीं है। एक राज्य सरकार नक्सलवादियों के साथ क्यों बातचीत करे? जैसाकि अलेक्जेंडर साहब ने याद दिलाया, यह नौ राज्यों की समस्या है। नौ राज्यों में नक्सल हिंसा, नक्सल मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है। आज झारखंड के लगभग अठारह जिले नक्सल प्रभावित हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पिछले हफ्ते, जब आप पोटा पर जवाब दे रहे थे तो आपने कहा था कि नक्सल हिंसा धीरे-धीरे कम हो रही है। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में सीज-फायर की वजह से थोड़ा-बहुत नियंत्रण, कंट्रोल दिखा हो, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में नक्सल हिंसा पर कोई कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण हुआ है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। महोदय, मैं तो बिहार के ऐसे गांव से आया हूं, जहां सिर्फ नक्सल छाया है। हमारे गांव में अगर किसी के घर में पोचारा, व्हाइट वाश होती है, किसी ने इसके लिए चूना वगैरह लाकर रखा और रात को थोड़ा-बहुत चूना भी असुरक्षित रहा, तो नक्सल कैमूर की पहाड़ी से उतरते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। अगर उस बिहार के व्यक्ति को बताया जाए कि नक्सल हिंसा कम हो रही है तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मजाक होगा। उसे लगेगा कि गृह मंत्री जी पूरी जवाबदेही के साथ अपनी बात नहीं रख रहे हैं। उपसभापति महोदय, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के इन 2 जिलों, जिनका जिक्र अलेक्जेन्डर साहब ने किया है, यहां निश्चित तौर पर नक्सलवाद और नक्सलवादियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं । इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि जो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, जो हाथ में हथियार लेकर निकलते हैं, जो हमारी सत्ता को चुनौती देते हैं, उनके साथ हम हमेशा बातचीत क्यों करें? हम उनको कुचल सकते हैं।

श्री उपसभापति : अभी 5 बजे हैं, अभी इस विषय पर बोलने के लिए 9 स्पीकर्स बाकी हैं। सभी पार्टियों का समय खत्म हो चुका है। इस विषय पर चर्चा के लिए ढाई घंटे का समय निश्चित किया गया था, साढ़े चार घंटे हो चुके हैं, चर्चा अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्यों से

गुजारिश करूंगा कि वे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। यह डिबेट आज खत्म होनी है और रिप्लाई भी आज ही होना है, यह मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं।

श्री संजय निरुपम : उपसभापति जी, मेरा यह कहना है कि नक्सलवाद को अलग-अलग राज्यों में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के स्तर पर नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समुचित प्रयास होना चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। दुर्भाग्यवश पिछले 6 महीनों में आपकी सरकार ने यह नहीं किया और इसे राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में सब कुछ तबाह हो गया, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि पिछले 6 सालों में देश में बहुत शांति थी और पिछले 6 महीनों में सारे के सारे टैररिस्ट्स, टूरिस्ट्स में बदल गए, मैं ये सब्जबाग दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। न तो मैं यह कह रहा हूं कि सब कुछ बिगड़ गया, न मैं यह कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो गया। यह तो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, वह अनवरत जारी है। एक तरह से यह दीमक की तरह हमारे समाज पर लग गया है, चाहे कश्मीर हो या उत्तर -पूर्व का क्षेत्र हो या महानगर हों। दिल्ली में, दिल्ली की पुलिस, एक बार बंगलादेशियों की झोंपड़-पट्टी में एक बंगलादेशी को गिरफ्तार करने के लिए गई, जिस पर ISI के साथ हाथ मिलाने का आरोप था। सारे के सारे बंगलादेशी झोंपड़-पट्टियों से निकलकर दिल्ली पुलिस पर टूट पड़े और आखिर दिल्ली पुलिस को वहां से भागना पड़ा । जिस रे रोड की पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, उस रे रोड में जब मुंबई पुलिस के लोग ऐक्शन लेने के लिए गए तो उन लोगों ने मुंबई पुलिस के सिपाहियों पर पत्थर फेंके, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को लौटना पड़ा। उन बंगलादेशियों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, नक्सल उग्रवादियों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर देश सबसे पहले है। हम हारें या जीतें, हमारी सरकार है या नहीं, आपकी सरकार आज है, कल नहीं रहेगी लेकिन देश को रहना है, देश को सुरक्षित रहना है, हम सबको सुरक्षित रहना है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रहना है, हमें उस दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है, दुर्भाग्यवश उस दृष्टिकोण से सोचा नहीं जा रहा है।

महोदय, आंध्र प्रदेश में जो नक्सल उग्रवादी हैं, उनके साथ peace talk, शांति वार्ता हो रही है, इस प्रकार का बड़ा शोर-शराबा हुआ, पिछले 6 महीनों में कम से कम हमने सुना, तो गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसका outcome क्या है, क्या बातचीत हुई, किस प्रकार की बातचीत हुई? आप जितना बताना चाहें, उतना ही बताएं, देश की सुरक्षा के आग्रह को तोड़कर आप न निकलें लेकिन जितना बता सकें बताएं कि आखिर क्या बातचीत हुई, उसके terms and conditions क्या थे, किस आधार पर हम बातचीत कर रहे थे? आज मेरा एक प्रश्न था उत्तर -पूर्व के उग्रवादी संगठनों के संदर्भ में कि उनसे क्या बातचीत चल रही है? गृह मंत्री महोदय ने आज जवाब भी दिया कि मुइवा के साथ, NSCN के आतंकवादी संगठन के जो प्रमुख हैं, Thirty rounds of talks have been held between the representatives of

Government of India and NSCN (IM) leaders. 30 वार्ताएं हो चुकी हैं, उन 30 वार्ताओं में क्या आधार है, कौन-से मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं? वे एनाउंस करते हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक ceasefire है। बताया गया कि NSCN(IM) ने एक अगस्त, 1997 में ceasefire की घोषणा की थी और 31 अगस्त, 2005 को यह ceasefire खत्म होगी। तब से वे लगातार हिंदुस्तान की सरकार के एक मेहमान की तरह से दिल्ली आते हैं, हमारे अधिकारी, रिटायर्ड IAS Officers उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। पिछली सरकार के जमाने में भी यह चलता था। हमारी सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी बैंकाक जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहां जाकर उनसे बात करके आते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत मजबूत देश है, सरकार भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, आप भी बहुत मजबूत हैं, हम सब आपके साथ हैं।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am on a point of order. Mr. Nirupam has raised a question.....*(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Sir, I am on a point of order. Mr. Nirupam raised the question...*(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Sir, I am on a point of order. Mr. Nirupam was reading some names from the voters list. It is not an authentic document. This august House cannot all the time be prepared to listen to propaganda. He must quote from an authentic document. It is a voter list. We want to know the addresses and then I will request the hon. Home Minister to go into this question. *(Interruptions)* Kindly listen to me. It is a very serious allegation. He is reading from a voters list. This is a propaganda stuff. It is not an authentic document. This House cannot be misled. . He must either withdraw this voters list, or authenticate it before this august House. This is not done.

श्री संजय निरुपम : सोज साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका । आपने यहां पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रखा। मैं आपके सामने यह पूरी लिस्ट ऑथेन्टिकेट कर रहा हूं और एक भी नाम गलत साबित हुआ, एक भी एड्रेस गलत साबित हुआ, तो फिर सोज साहब, आपकी बात।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Now, it wil become part of the proceedings and it will be subject to an inquiry...*(Interruptions)*

SHRI SANJAY NIRUPAM: Of course, I am ready to authenticate it, Sir. *(Interruptions)* देखिए, मैंने कहा...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, address the Chair. *(Interruptions)*

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I am addressing the Chair. I am making a request to you. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has agreed to authenticate it. It will become the property of the House. *(Interruptions)* It is not his job to...*(Interruptions)*

श्री संजय निरुपम : मैं अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में यही कह रहा था कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखा जाए। बंगलादेशी घुसपैठ का प्रश्न कहीं से भी साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न हैं। दुर्भाग्यवश, सैफुद्दीन सोज साहब ने उसमें एक राजनीति ढूंढ़ने की आखिर में कोशिश की।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: बिल्कुल नहीं किया। I want you to speak authentic things in the House. *(Interruptions)*

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan) : Sir, the Chairman has given the ruling that when the Railway Minister will come, the Statement will be made right there. Now, the Railway Minister has come. He can continue it later. Let the the Minister make the statement.

श्री संजय निरुपम : मेरा आखिरी प्वाइंट है। (व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA : He will take a long time. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : संजय जी, आप खत्म कीजिए, टाइम हो गया, प्लीज आप कम्पलीट कीजिए।

श्री संजय निरुपम : हां, कम्प्लीट कर रहा हूं। उपसभापति जी, मैं गृह मंत्री का ध्यान आखिरी मुद्दे के ऊपर रखना चाह रहा हूं। हमारे यहां एक कानून है एफसीआरए (फारेन कन्ट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट)। वह एक्ट क्या है, दो लाइन में बता देता हूं कि The Foreign Contribution (Regulation) Act came into force in 1976. As such it has been in operation for over 28 years now. Under this Act, any Non-Government Organisation may accept foreign contribution for specific activities, for example, religious, culture, economic, educational, social, after seeking prior permission to accept it from the Home Ministry. मुझे आप कृपया कर जब अपना जवाब दें, तो बताएं कि एफसीआरए के अन्तर्गत इस देश के कितने नॉन-गवर्नमेंट आरगेनाइजेशन्स ने बाहर से पैसे लिए? दूसरा, मुम्बई की एक महिला जो* के बहाने पूरे देश में सेक्युलरिज्म का झंडाबरदार बन कर घूम रही हैं, मेरी उनके बारे में यह जानकारी है .. बागड़ोदिया जी, एक मिनट जरा जरूरी बात

*Expunged as ordered by the Chair.

बता दूं तो समय आने पर उनका जवाब आ जाएगा। मुम्बई की एक महिला, जो* पूरे देश में सेक्युलरिज्म का झन्डाबरदार बनकर घूम रही हैं और उनके केश के बारे में उन्होंने जिस महिला को एक विटनेस बना कर लाया ...(व्यवधान)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala) : Sir, I am on a Point of Order. (*Interruptions)* The matter is *sub judice.*

श्री संतोष बागड़ोदिया : *

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए।

श्री संतोष बागड़ोदिया : और उस सरकार के लिए.....

SHRI VAYALAR RAVI : Sir, I am on a Point of Order. The matter is already in the court. Certain subjects which are in court cannot be raised here. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आप* को रेफर मत कीजिए। (व्यवधान) इसे निकाल दीजिए। It will be removed.

श्री संजय निरुपम : जिस महिला ने , मैं मुम्बई की उस महिला की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं, विशेष कर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: वहां जो हजारों आदमी मरे, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप उसे जस्टीफाई क्यों कर रहे हैं?

श्री संजय निरुपम: कोई जस्टीफाई नहीं कर रहा है। गृह मंत्री जी, मुझे आपसे सिर्फ यही निवेदन करना है.....

श्री उपसभापति: अब बहुत हो गया।

श्री संजय निरुपम: उपसभापति जी, मैं शुरू करूं और किसी ने मुझे रोक दिया तो?

श्री उपसभापति: आप सीनियर मेंबर हैं, see, you are a senior Member आपको तो टाइम का ध्यान रखना चाहिए।.....(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। गृह मंत्री जी आप से निवेदन है, कृपया जरा इधर ध्यान दें। आदरणीय गृह मंत्री जी, कृपया इधर ध्यान दें। आप जब हमारे सवालों और हमारे मुद्दों का जवाब दें तो आपसे निवेदन है कि कृपया मुंबई की जिस महिला ने खाड़ी देशों से कम्युनलिज्म कम्बैट के नाम पर जितने पैसे लिए, जिसकी पूरी रिपोर्ट आपके पास है, कृपया उस रिपोर्ट को सदन में रखें और हमें बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Again Mr. Deputy Chairman, Sir, this is not a Point of Order. Rules are there. He is mentioning a magazine for which we have utmost respect.....(*Interruptions*)...

SHRI SANJAY NIRUPAM: You have respect, carry on your respect. But my point is whether that lady has taken money from Gulf countries in the name of combating communalism. That is what I want to know. What is wrong in it?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: You cannot do that, she cannot defend.....(*Interruptions*)..... This is an allegation against a person who cannot defend herself in the House....(*Interruptions*)...

श्री संजय निरुपम: मैं तो गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है, ऐसी कोई जानकारी है? हो सकता है मैं गलत होऊं। गृह मंत्री जी हमारे देश की इंटरनल एजेंसीज के पास ऐसी रिपोर्ट है, यह मेरी जानकारी है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: आप बैठिए। बगड़ोदिया जी, आप बैठिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, लालू जी आ गए हैं। अब स्टेटमेंट करा दीजिए।

श्री उपसभापति: चैयरमैन साहब ने रूलिंग दे दी है कि स्टेटमेंट कल कराएंगे। ...**(व्यवधान)** चैयरमेन की रूलिंग है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): अगर आज आएंगे तो ठीक है, अगर आज नहीं आए तो कल होगी। उन्होंने यह कहा है कि अगर आज आ जाएंगे तो आज होगा नहीं तो कल होगा। ...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): ये लोग इतनी देर से डिमांड कर रहे थे और जब वह आ गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया: अगर आज आएंगे तो आज होगा, नहीं तो कल होगा। ...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ राम देव भंडारी: ये लोग 15–20 मिनट तक इस पर बोलते रहे कि मंत्री जी आएं और अब मंत्री जी आ गए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सर, इतने लांछन लगाए गए और अब जब मंत्री जी आ गए हैं तो स्टेटमेंट आना चाहिए। पहले ये पूछ रहे थे कि कहां हैं मंत्री जी ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) उपसभापति जी, जिस समय यह विषय सदन में उठा, मैं

यहां नहीं थी, लेकिन आप जो चैयरमैन की रूलिंग की बात कर रहे हैं तो इसका आधार केवल इतना है कि केवल रेल मंत्री नहीं, कोई भी मंत्री जब सदन में वक्तव्य देता है तो एक ही दिन दोनों सदनों में वह वक्तव्य होना चाहिए। अब चूंकि लोक सभा एडजॉर्न हो चुकी है और आज वह लोक सभा में बयान नहीं दे सकते, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ...(व्यवधान)....

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सर, मैं इस मुद्दे पर नहीं कहना चाहता कि वह स्टेटमेंट आज दें या कल दें, लेकिन माननीय उपनेता जी ने जो बताया वह सरासर गलत है। इस में जरूरी नहीं है कि एक ही दिन होना चाहिए। यहां का अलग हिसाब है, वहां का अलग है। उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने छुट्टी कर ली।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: (झारखंड): नहीं चाहिए था, क्या मतलब है? इस मांग पर वहां हाउस एड्जॉर्न हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद: हाउस एड्जॉर्न हुआ at the request of Leader of the Opposition....(*Interruptions*) .... हमने उनको भी बताया।...(*Interruptions*)...There is no rule as such that two statements cannot be given on two different dates.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: इसीलिए हाउस एड्जॉर्न हुआ।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, we are on a very serious issue. The issue before the House is not the technicalities, the issue before the House is not the personalities, the issue before the House is a railway accident. We want a first hand report of the railway accident from the Railway Minister. If the Railway Minister is here, we are here, how can anyone deprive us? With what faces will we go outside? We do not know anything about the railway accident excepting from the T.V. channels. So, now that the Railway Minister is here, we have got every right to get the statement from him right now today, even if we have to sit throughout the night. (*Interruptions*). Let us have a discussion. *(Interruptions)*. He is present in the House with a statement. Let us discuss it. (*Interruptions*).

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the mood of the House is clear. (*Interruptions*) They do not want to discuss it. (*Interruptions)*

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने (व्यवधान) यह मुद्दा उठाया कि लालू जी यहां पर आकार बयान दें, कि नहीं दें। कल दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होने के बाद, वे टी॰वी॰ पर बोले और घटनास्थल पर गए। वहां से लौटकर मंत्री महोदय ने टी॰ वी॰ पर बयान भी दिया और यहां तक कहा कि यह हत्या है, हादसा नहीं, हत्या है और यह सारी चीज दिखाई गई ...(व्यवधान) Let me finish.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh) Sir, I am on a Point of Order. (*Interruptions*) I am on a Point of Order. (*Interruptions*)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: यह मुद्दा उठाने के बाद चेयरमैन ने क्या रूलिंग दी, रूलिंग को सदन में पढकर सुनाया जाए। (**व्यवधान**) सदन में चेयरमैन ने क्या रूलिंग दी, वह पढ़कर सुनायी जाए।

श्री उपसभापति: बागड़ोदिया जी, आप बैठिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let me finish. (*Interruptions*) I am also raising a Point of Order. (*Interruptions*) What are the observations made by the Chairman on this issue? You read them out. (*Interruptions*) Sir, you please read out the observations of the Chairman. That is all. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, you are a very senior Member. You are aware that when a Point of Order is raised....(*Interruptions*)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, he is the Member who was asking: Where is the Railway Minister? (*Interruptions*)

प्रो॰ राम देव भंडारी: कोई कहे रेलवे मिनिस्टर कहां हैं? रेलवे मिनिस्टर यहां है, इधर देखो, इधर बैठे हैं। (**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the same hom. Member who was standing and saying where the Railway Minister is, is now saying what the ruling is (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes, I was demanding it. But this is not the way. At 5 o' clock, the House was scheduled to be adjourned. It is now 5.20 p.m. So, if any Minister comes and wants to make a statement after the time-limit of the Parliament, he should not be allowed to do so. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप प्लीज बैठिए। मैं खड़ा हूं, आप बैठिए। देखिए, चेयरमैन साहब ने पहले कहा कि आज रेल मंत्री, लालू जी को यहां बुलाएंगे और आज यहां स्टेटमेंट होगा। आखिर में उन्होंने कहा कि कल लालू जी आयेंगे और वक्तव्य देंगे। यह उनकी रूलिंग है। (**व्यवधान**)

The House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at twenty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 16th December, 2004.

MGIPMRND—4440RS—03-05-2005.